संख्या-14/2025/410ई-2/तेरह-2025-480290

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग 2 लखनऊः दिनाकः12 मार्च, 2025

विषय- मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि., आसवनी गीडा, गोरखपुर में पूर्व से स्वीकृत (निर्माणाधीन) 200 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का अतिरिक्त ग्रेन आधारित प्लांट के अन्तर्गत 110 कि.मी. प्रतिदिन वाश से एथनॉल/आर.एस. एवं 90 कि.ली. प्रतिदिन वाश से आर.एस. उत्पादन किये जाने की प्रदत्त अनुमति के अतिरिक्त 110 कि.मी. प्रतिदिन क्षमता के प्लाट में अतिरिक्त कॉलम जोड़कर वाश से ई.एन.ए. उत्पादन किये जाने एवं 110 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन बेस्ड वाश से ई.एन.ए./एथनॉल/आर.एस. प्लांट को डुअल मोड (ग्रेन/शीरा) पर संचालित किये जाने एवं 90 कि.मी. प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन प्लांट में वाश से आर.एस. एवं आर.एस. से एथनॉल का उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-121/दो-प्रा.डी.-126/आई.जी.एल, दिनांक 21-02-2025 तथा प्रकरण में दिनांक 06-03-2025 को प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में हुए विचार-विमर्श का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 21-02-2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये संस्तुति सहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स आई.जी.एल. आसवनी, गीडा, गोरखपुर को शासनादेश संख्या 07/2024/113 ई-2/तेरह-2024-480290, दिनांक 09.02.2024 के क्रम में 200 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का अतिरिक्त ग्रेन प्लांट के अन्तर्गत 110 कि.ली. प्रतिदिन वाश से एथनॉल/आर.एस. एवं 90 कि.ली. प्रतिदिन वाश से आर.एस. उत्पादन किये जाने हेतु प्लांट/मशीनरी स्थापित किये जाने की प्रदत्त अनुमति के अतिरिक्त 110 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लांट में अतिरिक्त कॉलम जोड़कर वाश से ई.एन.ए. उत्पादन किये जाने हेतु एवं 110 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन बेस्ड वाश से ई.एन.ए./एथनॉल/ आर.एस. प्लांट को डुअल मोड (ग्रेन/शीरा) पर संचालित किये जाने तथा 90 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन प्लांट में वाश से आर.एस. एवं आर.एस. से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु प्लांट/मशीनरी स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है-

(1) इकाई द्वारा अनाज से एथनाल, ई.एन.ए. उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4) (छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा

निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(2) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापति प्रमाण-पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुजा में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(3) आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में अनुज्ञापन निर्गत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई के पास शीरा संचय की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

(4) इकाई द्वारा उत्पादन करते समय भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) इकाई को पूर्व में प्राप्त अनुमति संबंधी शासनादेश दिनांक 09.02.2024 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(7) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमो नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्याः14/2025/410(1)-2/तेरह-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आजा से,

(दुर्गा सिंह),
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in